भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 843

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

†843. श्री के. राधाकृष्णन:

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

श्री बैन्नी बेहनन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश भर में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, जिनमें केरल के कुछ खंड भी शामिल हैं, अधूरे निर्माण, खराब रखरखाव और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी के कारण लंबे समय से लंबित हैं, जिससे लागत में वृद्धि हो रही है और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान अपनी मूल पूर्णता समय-सीमा से चूकने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विलंबित राजमार्ग परियोजनाओं और क्षतिग्रस्त सड़क खंडों के कारण हुए वित्तीय लागत अधिशेष, आर्थिक नुकसान, यातायात जाम और दुर्घटनाओं का आकलन किया है, यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि खराब प्रदर्शन के बावजूद ठेकेदारों को अक्सर बार-बार समय-विस्तार दिया जाता है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना के निष्पादन में देरी के लिए रियायतग्राहियों/ठेकेदारों पर कोई जुर्माना लगाया गया है, और यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(च) राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने, ठेकेदारों की जवाबदेही में सुधार करने, सड़क सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और प्रभावित यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान स्वीकृत/सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण, जो परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त

किए बिना अपनी मूल पूर्णता समय-सीमा से आगे बढ़ गई हैं और समाप्ति/समयपूर्व समापन के लिए विचाराधीन परियोजनाओं को छोड़कर, संलग्न हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी के मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण, वैधानिक स्वीकृतियों/अनुमतियों, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दे, ठेकेदार/रियायतग्राही का खराब कार्यनिष्पादन और कोविड-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं।

(ग) सभी विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि नहीं होती है। यदि विलंब ठेकेदार के कारण नहीं है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत हो भी सकती है और नहीं भी, यह परियोजना के वास्तविक पूर्ण होने पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के अंतिम मूल्य पर निर्भर करता है। यदि विलंब ठेकेदार के कारण है, तो हर्जाना लगाया जाता है और विलंब के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है। हालांकि, निर्माण के दौरान, कुछ स्थानों पर, विशेषकर प्रमुख चौराहों पर, यातायात जाम देखा जाता है।

(घ) निर्माण की समयसीमा परियोजना अनुबंधों में निर्दिष्ट की जाती है, जिसे आम तौर पर परियोजना के वास्तविक प्रारंभ से 2 से 3 वर्ष तक रखा जाता है, लेकिन परियोजना को पूरा करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की अनुमति देने के लिए अनुबंध में प्रावधान हैं।

ये विस्तार मानक अनुबंध समझौतों के अनुसार ही दिए जाते हैं, जिसमें ठेकेदार/रियायतग्राही के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी/अनुमति, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाना, कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दे और कोविड-19 महामारी, कानून में परिवर्तन आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाएं।

(ड़) ठेकेदारों/रियायतकर्ताओं पर निष्पादन में देरी के लिए लगभग 2,732 करोड़ रुपये का संचयी जुर्माना लगाया गया है, जिसके विरुद्ध पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 780 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं। इनमें "भूमिराशि" पोर्टल और जीआईएस-आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित बनाना, वन एवं पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों को तेजी से प्राप्त करने के लिए "परिवेश" पोर्टल का पुनर्निर्माण करना, रेलवे से सड़क ओवरब्रिज/सड़क अंडरब्रिज (आरओबी/आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति सक्षम करना और राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं/अड़चनों की समीक्षा एवं समाधान की व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। रेलवे ने विभिन्न स्वीकृतियों के लिए निर्धारित समयसीमा के साथ रेलवे संबंधी स्वीकृतियों हेतु एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और ठेकेदारों की अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई तंत्रों का उपयोग करते हुए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, और तीन साल से अधिक विलंबित या अनुबंध/निर्धारण के लिए लंबित परियोजनाओं जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा, कई राज्य सरकारें परियोजना कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित करती हैं। जिन परियोजनाओं में मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं, उन्हें परियोजना निगरानी समूह और "प्रगति" के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए भेजा जाता है।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में श्री के. राधाकृष्णन, श्री कार्तिक पी. चिदंबरम और श्री बेनी बेहनन द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 843 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार उन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विवरण, जिन्हें पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान स्वीकृत/सौंपा गया था और जो अपनी मूल समापन समय-सीमा से आगे बढ़ चुकी हैं, परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त किए बिना, और समाप्ति/समय पूर्व समापन के लिए विचाराधीन परियोजनाओं को छोड़कर।

क्रम सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**मूल समापन समयसीमा से आगे बढ़ चुकी परियोजनाओं की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	38
2	अरुणाचल प्रदेश	3
3	असम	25
4	बिहार	22
5	छत्तीसगढ	12
6	गोवा	6
7	गुजरात	13
8	हरियणा	10
9	हिमाचल प्रदेश	12
10	झारखंड	15
11	कर्नाटक	37
12	केरल	11
13	मध्य प्रदेश	33
14	महाराष्ट्र	51
15	मणिपुर	13

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मूल समापन समयसीमा से आगे बढ़ चुकी परियोजनाओं की संख्या
16	मेघालय	3
17	मिजोरम	2
18	नागालैंड	14
19	ओडिशा	20
20	पंजाब	20
21	राजस्थान	12
22	सिक्किम	4
23	तमिलनाडु	18
24	तेलंगाना	25
25	त्रिपुरा	4
26	उत्तर प्रदेश	39
27	उत्तराखंड	27
28	पश्चिम बंगाल	13
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
30	जम्मू और कश्मीर	21
31	लद्दाख	1
